संक्षेप में

10 साल के शीर्ष पर रियल एस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्स

नाइट फ्रैंक-नारेडको की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में सेंटीमेंट इंडेक्स स्कोर बढ़कर 72 अंक के साथ एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह स्कोर 50 से ऊपर बढ़त और इससे नीचे गिरावट को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही में फ्यूचर सेंटीमेंट इंडेक्स भी बढ़कर 73 हो गया। जिससे आगे रियल एस्टेट के तेजी से बढ़ने की संभावना है। नाइट फ्रैंक-नारेडको द्वारा पहली तिमाही में किए गए सर्वे के अनुसार अगले 6 महीने में मकानों और ऑफिस की बिक्री, लॉन्चिंग और दाम बढ़ सकते हैं। सर्वे में 73 फीसदी लोग मानते हैं कि अगले 6 महीने में मकानों की बिक्री बढ़ेगी। *बीएस*

सीरम इंस्टी. ने अफ्रीका भेजा मलेरियारोधी टीका

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। सोमवार को सीरम द्वारा भारत से टीके की करीब 43,200 खुराकें भेजी गई हैं। उनमें से करीब 1,63,800 खुराकें मध्य अफ्रीकी क्षेत्र के लिए भेजी गई हैं। आने वाले दिनों में मध्य अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के बाद दक्षिणी सूडान और कांगो जैसे अन्य अफ्रीकी देशों द्वारा किया जाएगा। *बीएस*

टाटा मोटर्स ने बजाज फाइनैंस से हाथ मिलाया

टाटा मोटर्स की यात्री वाहन और यात्री इलेक्ट्रिक परिवहन से जुड़ी अनुषंगी कंपनियों ने अपने डीलरों को आपूर्ति श्रृंखला वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए बजाज फाइनैंस के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने बयान में कहा कि टाटा मोटर्स की अनुषंगी कंपनियों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपने यात्री तथा इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्तीय समाधान का विस्तार करने के लिए बजाज फाइनैंस के साथ हाथ मिलाया है। *भाषा*

टाटा डिजिटल: नई टीम का ऐलान

नवीन तहिलियानी के नेतृत्व में कंपनी में नई 'ए टीम' की घोषणा की गई है

शिवानी शिंदे
मुंबई, 20 मई

टाटा डिजिटल के मुख्य कार्य अधिकारी नवीन तहिलयानी ने अपने कर्मियों को एक आंतरिक ईमेल भेजकर अपनी नई 'ए टीम' के बारे में बताया है। इस फेरबदल का मकसद कंपनी के नेतृत्व ढांचे को सुगम बनाना और कंपनी को ज्यादा सक्रिय एवं व्यवसाय केंद्रित बनाना है।यह इस तथ्य से जाहिर है कि ताहिलियानी को सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या 20 है, जो पिछले सीईओ प्रतीक लाल को रिपोर्ट करने वालों (35) से कम है।

उनके ईमेल में नेतृत्व टीम और कर्मचारियों से कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करने और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए इसकी वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर भी ध्यान देने का आग्रह किया गया है। ईमेल के अनुसार यह बदलाव 20 मई 2024 से लागू हो गया है।

तहिलियानी ने अपने ईमेल में लिखा है, 'हमने एक्जीक्यूटिव टीम के लिए एक ढांचा तैयार किया है जो हमारे दिग्गजों को व्यापक अवसर देने, सशक्तिकरण के साथ जवाबदेह बनाने, सादगी और सहजता लाने और टाटा डिजिटल तथा हमारी अन्य सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों के साथ सहयोग एवं काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के सिद्धांतों पर आधारित है।'

इस फेरबदल से आंतरिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और इन अधिकारियों को केवल कामकाजी जिम्मेदारियों के बजाय अधिक व्यावसायिक भूमिकाएं भी मिलेंगी। उदाहरण के लिए, आनंद रामादुरई को मुख्य व्यावसायिक अधिकारी (फ्लाइट्स) की जिम्मेदारी दी गई है। वह इससे पहले टाटा डिजिटल में लॉयल्टी प्रोग्राम के प्रमुख थे। इसी तरह, असीम सचदेवा जहां कॉमर्स खंड के लिए बिजनेस फाइनैंस कामकाज के प्रमुख बने रहेंगे, वहीं वे अब इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य व्यावसायिक अधिकारी भी होंगे।

गौरव मोटानी जैसे नए लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं जो पहले उत्पाद टीम में शामिल थे और अब उन्हें मुख्य उत्पाद अधिकारी बनाया गया है। तहिलायानी कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम पर काम करना और ग्राहक जुड़ाव में सुधार लाना चाहेंगे।

उन्होंने लिखा है, 'हमें अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कई पहलुओं पर काम करने, लॉयल्टी प्रोग्राम में सुधार लाने, पेशकशों के लिए आंकड़ों का लाभ उठाने, अपनी पेशकशों के बारे में ग्राहकों को अच्छी तरह से अवगत कराने की जरूरत होगी। ह में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और अपनी महत्वपूर्ण पहलों को कठोरता और अनुशासन के साथ अमल में लाना होगा।'

तहिलियानी ने यह भी लिखा है कि उनकी प्राथमिकता अब अपनी स्वयं की टीमें बनाने के लिए दिग्गजों के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा, 'अगले कुछ दिनों के दौरान मैं टीमों के गठन के लिए हरेक अधिकारी के साथ मिलकर काम करूंगा। महीने के अंत में अपनी अगली बैठक के दौरान में आगामी योजनाओं पर चर्चा करूंगा और आपका फीडबैक जानूंगा।'

नेतृत्व में यह बदलाव कंपनी की रणनीति की व्यापक रूपरेखा का हिस्सा है और समय के साथ इसमें परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं जितना अधिक अपने सामने मौजूद अवसरों की प्रकृति को समझता हूं, उतना ही अधिक मैं संभावित प्रभाव के आकार से चकित हूं।'

बदलाव की तैयारी

- नए ढांचे से कंपनी को अधिक व्यवसाय केंद्रित बनने में मदद मिलेगी
- नेतृत्व बदलाव 20 मई से लागू
- ताहिलायानी कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम पर काम करना और ग्राहक जुड़ाव में सुधार लाना चाहेंगे
- इस फेरबदल से आंतरिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा और इन अधिकारियों को केवल कामकाजी जिम्मेदारियों के बजाय अधिक व्यावसायिक भूमिकाएं भी मिलेंगी

निर्यात बढ़ाएगी रेल निर्माता वेबटेक

ध्रुवाक्ष साहा
रोहतक, 20 मई

बहुराष्ट्रीय रेल निर्माता वेबटेक कॉरपोरेशन तीन साल में भारत से अपने निर्यात में 10 गुना इजाफा करना चाहती है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। कंपनी ने भारत में मौजूदगी बढ़ाने के लिए रोहतक में अपनी नई निर्माण इकाई को हरी झंडी दिखाई।

कंपनी के ट्रांजिट व्यवसाय वैश्विक अध्यक्ष पास्कल श्वीत्जर ने कहा, 'भारत से हमारा मौजूदा निर्यात 30-40 लाख डॉलर है और अगले तीन साल में यह आंकड़ा 10 गुना बढ़ाकर 3 करोड़ डॉलर किए जाने की योजना है।' वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इंडिया रीजनल लीडर सुजाता नारायण और ट्रांजिट इंडिया के प्रबंध निदेशक अजय मणि के साथ श्वीत्जर भी निर्माण इकाई के उद्घाटन के लिए यहां आए थे।कंपनी ने कहा है कि करीब 150 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ा नया संयंत्र शुरू में ट्रांजिट रेल कलपुर्जे और सब-सिस्टम तैयार करेगा जिसके बाद आने वाले वर्षों में वेबटेक के अन्य उत्पाद यहां बनाए जाएंगे।

नारायण ने कहा, 'हमने इस संयंत्र पर अगले कुछ वर्षों के दौरान अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये निवेश करने की भी योजना बनाई है। मौजूदा समय में हमारे साथ 300 कर्मी जुड़े हुए हैं और जैसे ही व्यवसाय बढ़ेगा, हम अन्य 200 कर्मी अपने साथ जोड़ेंगे।'

भारतीय रेलवे के लिए 1,000 डीजल इंजनों की आपूर्ति का ठेका मिलने के बाद कंपनी रेलवे क्षेत्र में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वालों में से एक थी। नारायण ने कहा कि बिहार के मढ़ौरा स्थित संयंत्र के जरिये 600 इंजनों की आपूर्ति रेलवे को की जा चुकी है। कंपनी द्वारा 2027-28 तक सभी 1000 इंजनों की आपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है।

करीब 10,000 वर्ग मीटर पर स्थापित किए जाने वाले इस संयंत्र में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ब्रेक कैलिपर्स और एक्चुएटर्स के साथ-साथ भारतीय रेलवे और मेट्रो के लिए मालवाहक वाहन, मेट्रो कोच और इंजन के लिए फ्रिक्शन मैटेरियल का उत्पादन शुरू किया जाएगा।

कंपनी ने हरियाणा में नए संयंत्र का उद्घाटन किया

रिलायंस कमर्शियल मामले में दो पर जुर्माना : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने वित्त वर्ष 2018-19 में रिलायंस कमर्शियल में पेशेवर कदाचार और ऑडिटिंग (अंकेक्षण) खामियों के लिए दो लेखाकारों (ऑडिटर) पर कुल 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। *भाषा*

आईसीएमआर ने कोवैक्सीन पर बीएचयू के अध्ययन से खुद को अलग किया

संकेत कौल
नई दिल्ली, 20 मई

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के शोधकर्ताओं के समूह को कोवैक्सीन के प्रभावों पर हालिया अध्ययन के साथ चिकित्सा संगठन को 'गलत तरीके से' जोड़ने के लिए फटकार लगाई और कहा कि यह 'खराब तरीके से तैयार किया गया' अध्ययन था। बायोमेडिकल अनुसंधान की रूपरेखा, समन्वय और प्रचार के लिए देश की शीर्ष संस्था आईसीएमआर ने शोधकर्ताओं से कहा है कि वे इस अध्ययन से आईसीएमआर की स्वीकृति हटाएं और माफीनामा प्रकाशित करें या फिर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करें।

इस शोध पत्र के लेखकों और जिस विज्ञान पत्रिका में इसे प्रकाशित किया गया था, उसके संपादक को लिखे पत्र में कहा गया है, 'आईसीएमआर इस अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं है और उसने इस शोध के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता नहीं दी है।

अध्ययन

इस महीने की शुरुआत में बीएचयू के शोधकर्ताओं की टीम ने हैदराबाद की टीका विनिर्माता भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन पर एक साल का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में उन 635 किशोरों और 291 वयस्कों को शामिल किया गया था, जिन्हें कोवैक्सीन टीका लगा था। टीकाकरण के एक साल के बाद दीर्घकालिक प्रतिकूल घटनाओं (एईएसआई) के बारे में इन प्रतिभागियों से फोन पर बातचीत की गई थी।

इस अध्ययन के अनुसार कोवैक्सिन का टीका लगवाने वाले लगभग एक-तिहाई लोगों ने इन प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा था। 'ड्रग सेफ्टी ऑफ स्प्रिंगर नेचर' में प्रकाशित यह अध्ययन ब्रिटेन की फार्मास्युटिकल क्षेत्र की दिग्गज एस्ट्राजेनेका द्वारा वहां की अदालत में यह स्वीकार किए जाने के बाद सामने आया है कि कोविड के उसके टीके से खून के थक्के जमने और प्लेटलेट की संख्या कम होने के दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

इस बीच आईसीएमआर ने इस अध्ययन की रूपरेखा में खराब कार्यप्रणाली और गंभीर खामियों को चिह्नित किया है।

बोकारो पावर सप्लाई कं. (प्रा.) लि.
(सेल एवं डीवीसी का एक संयुक्त उपक्रम)
हॉल सं.: एम-01, ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी-827001 (झारखण्ड) CIN: U40300DL2001PTC112074

निविदा आमंत्रण सूचना

संदर्भ सं.: बीपीएससीएल/एमएम/24-25/पेपर एडीवीटी./003/1121
दिनांक: 14/05/2024

क्र	एनआईटी सं./तारीख	विवरण	बीओडी एवं समय
1	बीपीएससीएल/एमएम/24-25/पीयूआर-006/एनआईटी-007 दि. 07/05/2024	रबड़ कॉनवेयर बेल्ट की खरीद।	07/06/2024 को 12.15 बजे
2	बीपीएससीएल/एमएम/23-24/पीयूआर-182/एनआईटी-008 दि. 07/05/2024	आईसोकाइनेटिक कोल सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट एवं डर्टी एयर टेस्ट पिटोट सिस्टम की खरीद।	07/06/2024 को 12.15 बजे
3	बीपीएससीएल/एमएम/24-25/पीयूआर-023/एनआईटी-009 दि. 10/05/2024	बायलर फीड वाटर पम्प (बीएफडब्ल्यूपी) मोटरों हेतु वाटर कूलर की खरीद।	11/06/2024 को 12.15 बजे

निविदा दस्तावेज के लिए कृपया वेबसाइट: www.bpscl.com देखें। बोलीदाताओं से नियमित रूप से वेबसाइट देखने का अनुरोध किया जाता है।

टाटा कैपीटल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड
संपर्क पता: 11वाँ तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 संपर्क नं. (022) 66069383

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

जबकि टाटा कैपीटल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम के तहत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पहले ही नीचे दिनांकित विस्तृत मांग सूचनाएं जारी की थीं जिसमें कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) (सभी एकल या संयुक्त रूप से "बाध्यताधारी" कहा गया है)/नीचे सूचीबद्ध विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) से संबंधित मांग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों नीचे दिए विवरण अनुसार संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ पावती देय पंजीकृत डाक द्वारा दी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) यदि चाहें तो संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय अवधि में किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।
उपर्युक्त के संबंध में एक बार पुनः एतद्वारा उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) को भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित संबंधित तिथियों से नीचे दिए विवरण अनुसार भविष्य की ब्याज सहित संबंधित नामों के लिए नीचे इंगित राशियों को संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के अंदर, उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण करार और अन्य दस्तावेजों/लिखतों यदि कोई हों, के साथ पठित, टीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त बाध्यताधारी(ओं) द्वारा क्रमशः निम्नलिखित प्रत्याभूत परिसंपत्ति(याँ) टीसीएचएफएल को बंधक रखी गई हैं।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के नाम	कुल बकाया राशि (रु.) अधोल्लिखित तारीख को*	मांग सूचना की तारीख एनपीए की तारीख
1.	9178869	1. श्री सतेन्द्र कौर बावा 2. श्री गुरदीप सिंह बावा 3. जसप्रीत सिंह बावा 4. मेसर्स निक्की बावा स्पा ट्रीट	16.05.2024 को राशि रु. 7,70,117/–	16.05.2024 और 09.05.2024

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण:– संपत्ति 1:– अजय टॉवर जो प्लॉट नं. ई–5/1 अरेरा कॉलोनी, भोपाल पर निर्माणाधीन है, नाम की बहु–मंजिला इमारत के मेज़ाइन पर स्थित ऑफिस चैम्बर नं. एमएफ 102। उपरोक्त ऑफिस चैम्बर का एरिया 328.94 वर्ग फुट है। इमारत और उपरोक्त चैम्बर वार्ड नं. 50 के अंतर्गत नगर निगम भोपाल की सीमाओं में स्थित हैं। सीमाएँ: पूर्व में: एमएफ–101, पश्चिम में: एमएफ–103, उत्तर में: लिफ्ट डायरेक्ट, सीढ़ियाँ और रास्ता, दक्षिण में: रोड और पेट्रोल पंप
संपत्ति 2:– अजय टॉवर जो प्लॉट नं. ई–5/1 अरेरा कॉलोनी, भोपाल पर निर्माणाधीन है, नाम की बहु–मंजिला इमारत के मेज़ाइन पर स्थित ऑफिस चैम्बर नं. एमएफ 105। उपरोक्त ऑफिस चैम्बर का एरिया 631.33 वर्ग फुट है। इमारत और उपरोक्त चैम्बर वार्ड नं. 50 के अंतर्गत नगर निगम भोपाल की सीमाओं में स्थित हैं। सीमाएँ: पूर्व में: एच.बी. पुलिस स्टेशन के सामने रोड, पश्चिम में: टॉयलेट और एमएफ–104, उत्तर में: ई–5/2, दक्षिण में: एमएफ–107

*उपर्युक्त संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित दर से भविष्य की ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक वहन किए जाने वाले प्रासांगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ। यदि उक्त बाध्यताधारी उपरोक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत लागतों और परिणामों के लिए पूर्ण रूप से उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) के हर्ज–खर्चे पर उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।
उक्त बाध्यताधारी(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) बिना टीसीएचएफएल की लिखित अनुमति के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके से उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(ओं) को हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या इसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में सहयोग करता है तो वह अधिनियम के तहत यथा कैद और/या दंड का भागी होगा।

दिनांक: 21.05.2024 हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: भोपाल हिते टाटा कैपीटल हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

AXIS BANK LIMITED एक्सिस बैंक लिमिटेड, खुदरा ऋणप्रदायक एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एक्सिस बैंक लिमिटेड-आरएसी, तृतीय तल, धन ट्राइडेंट, पीयू-4, ब्लॉक-बी, मेट्रो टॉवर के समीप, इंदौर-452001

नियम 8(1) के अंतर्गत अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एक्सिस बैंक लिमिटेड** (पूर्व में यूटीआई बैंक लिमिटेड के रूप में विदित), जिसका पंजीकृत कार्यालय : "त्रिशूल", समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन के समीप, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006, अन्य स्थानों के मध्य इसका शाखा कार्यालय **खुदरा ऋणप्रदायक एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एक्सिस बैंक लिमिटेड–आरएसी, तृतीय तल, धन ट्राइडेंट, पीयू–4, ब्लॉक–बी, मेट्रो टॉवर के समीप, इंदौर–452001** में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी जिसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को बकाये के भुगतान हेतु कहा गया था :

क्र. सं.	आवेदक/सह–आवेदक/गारंटरों के नाम तथा पते	देनदारी रु. में	प्रस्तावित संपत्तियां साम्यिक बंधक तथा अधिग्रहण की तिथि
1.	**(I) श्री मनीष कुमार गुप्ता** पुत्र श्री माणकलाल गुप्ता **(II) श्रीमती उर्मिला गुप्ता** डब्ल्यू/डी/ओ– श्री मनीष कुमार गुप्ता, निवासी– 92, मनोहरे यादव कॉलोनी, आगर रोड, उज्जैन–456010 **मांग सूचना तिथि :** 06–12–2022 **ऋण खाता संख्या :** PHR004303088475	**रु. 6,67,714/–** (रुपये छह लाख सड़सठ हजार सात सौ चौदह मात्र) **10–11–2022** के अनुसार (इस राशि में केवल **10–11–2022** तक लागू ब्याज सम्मिलित है)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो घर / प्लॉट नं. 256–एलआईजी, प्रथम अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, उज्जैन–456006 (म.प्र.) में स्थित है। अधिमापन– 54 वर्ग मीटर। श्री मनीष कुमार गुप्ता के नाम पर। **सीमाएँ :– पूर्व–** मार्ग, **पश्चिम–** मकान नं. 255 एलआईजी फर्स्ट, **उत्तर–** खुली भूमि, **दक्षिण–** 9 मीटर चौड़ी सड़क। **भौतिक अधिग्रहण :–** 18/05/2024

दिनांक : 18–05–2024 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इंदौर एक्सिस बैंक लिमिटेड

AXIS BANK LIMITED खुदरा ऋणप्रदायक एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एक्सिस बैंक लिमिटेड-आरएसी, तृतीय तल, धन ट्राइडेंट, पीयू-4, ब्लॉक-बी, मेट्रो टॉवर के समीप, इंदौर - 452001

मांग सूचना
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम (3) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत)

जबकि, आपके अनुरोध पर, निम्न उल्लिखित व्यक्ति(यों) को बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजन करके विभिन्न परिसंपत्तियों के समक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से समय–समय पर विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजनकारिता के स्वामित्व विलेख जमा करके आपके द्वारा बंधककृत संपत्ति(यों) के विवरण, यहां नीचे वर्णित किये गये हैं। चूँकि आप बैंक का बकाया ऋण चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए आपके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि बैंक का बकाया ऋण चुकाने का आहवान करने वाली मांग सूचनायें जो पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गयी थीं उन्हें डाकीय विभाग द्वारा वापस कर दिया गया है, तथा इसीलिये यह सूचना निर्गत की गयी है।

क्र. सं.	आवेदक/सह–आवेदक/गारंटरों के नाम/खाता सं.	देनदारी रु. में	साम्यिक बंधक हेतु प्रस्तावित संपत्तियां
1.	(1) **मैसर्स कोठारी एंटरप्राइज,** प्रोपराइटर अंगूरबाला कोठारी के माध्यम से (उधारकर्ता/बंधककर्ता) पता : 192/2 कोमल नगर, नया गांव, रतलाम, एट पीओ : रतलाम, जिला : रतलाम, राज्य : मध्य प्रदेश, 457001 (2) **अनगूरबाला कोठारी** पत्नी रमेश कोठारी (प्रोपराइटर/गारंटर 1), पता : 436–बी, काटजू नगर, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001 (3) **रमेश कोठारी** पुत्र स्व. मोतीलाल कोठारी (बंधककर्ता/गारंटर 2), पता : 436–बी, काटजू नगर, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001 (4) **चेतन कोठारी** पुत्र रमेश कोठारी (गारंटर 3), पता : 436–बी, काटजू नगर, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001 **ऋण खाता संख्या :** **919030094165157, 920060051207677 एवं 919060094258373** **मांग सूचना तिथि : 07/05/2024 एनपीए की तिथि : 30/04/2024**	**रु. 51,08,410.95/–** (रुपये इक्यावन लाख आठ हजार चार सौ दस एवं पिचानबे पैसे मात्र) 03/05/2024 के अनुसार (30/04/2024 तक ब्याज सहित), **रु. 4,67,144.07/–** (रुपये चार लाख सड़सठ हजार एक सौ चौवालीस एवं सात पैसे मात्र) 03/05/2024 के अनुसार (30/04/2024 तक ब्याज सहित), **रु. 33,44,275/–** (रुपये तैंतीस लाख चौवालीस हजार दो सौ पिचहत्तर मात्र) 03/05/2024 के अनुसार (30/04/2024 तक ब्याज सहित)	भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है, जो टी.आई.टी. स्कीम नं. 44 में प्लॉट नंबर 436 के पूर्वी हिस्से पर निर्मित मकान के स्वरूप में काटजू नगर, रतलाम (म.प्र.) में स्थित तथा रमेश कोठारी पुत्र मोतीलाल जी कोठारी के नाम पर है। के नाम पर अधिमापन क्षेत्र। **सीमाएँ इस प्रकार हैं : पूर्व–** प्लॉट नंबर 435 पर बना घर, **पश्चिम–** इस प्लॉट के शेष हिस्से पर बना घर, **उत्तर–** गली, **दक्षिण–** सड़क।

यदि आप, उपर्युक्त व्यक्ति / व्यक्तिगण सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत इस सूचना के अनुसार, इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर, अपने द्वारा देयक उपर्युक्त राशि का, उपरोक्त विवरणितानुसार भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागतों के साथ प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) तथा उक्त अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अंतर्गत, यहां विवरणित समस्त अधिकारों अथवा इनमें से किसी भी एक अधिकार का प्रयोग करेगा। यह सूचना, जैसे कि इसे विधि–व्यवस्था के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक समझा जाता है, ऐसी अन्य कार्यवाहियां या विधिक कार्यवाहियां आरंभ करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्गत की गयी है।

दिनांक : 21–05–2024, स्थान : मध्य प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

3 लोगों को सजा का मामला

आदेश के खिलाफ अपील करेगी पतंजलि फूड्स

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 20 मई

पतंजलि फूड्स उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने जा रही है। इस आदेश में अदालत ने पतंजलि इलायची सोनपापड़ी बनाने में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के मामले में तीन लोगों को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कंपनी के प्रवक्ता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए बयान में कहा 'हम अपील दायर करने जा रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम बेदाग होकर सामने आएंगे।' शेयर बाजार को दी गई सूचना में पतंजलि फूड्स ने कहा 'पीएएल के नामांकित व्यक्ति और उसके वितरक के खिलाफ पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक मामला दायर किया गया था। अदालत का हालिया फैसला पूरी तरह से पीएएल के नामित व्यक्तियों और उसके वितरक से संबंधित है, जो सजा के इस आदेश को चुनौती देने जा रहे हैं।'

इसमें यह भी कहा गया है कि यह खाद्य कारोबार जुलाई, 2022 में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अंतर्गत आया था और इसलिए कंपनी का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में में कहा 'कंपनी अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता और अखंडता के लिए समर्पित है।'सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने कहा कि शनिवार को पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने कारावास की सजा के अलावा उन पर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया।

वर्मा ने कहा कि अदालत ने उत्पाद बेचने पर पिथौरागढ के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को छह महीने कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह माह कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पतंजलि इलायची सोनपापड़ी में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 6 माह कैद सुनाई गई थी

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602,6टा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्र. सं. 79/1, घोरपड़ी, मुधावा रोड, पुणे–411036 पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, जेड–36, जोन–1, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एम पी नगर,भोपाल, मध्य प्रदेश–462011

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सरफैसी अधिनियम के तहत प्रत्याभूत अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन (''अधिनियम'') के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रत्याभूत अचल संपत्ति की बिक्री सूचना। एतद् द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि निम्न उल्लेखित अचल संपत्तियां **गृमह हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर, 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात थी और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग के नाम से शामिल थी**(इसके बाद अधिनियम के तहत '' प्रत्याभूत ऋणदाता'' के रूप में संदर्भित) को बंधक रखा गया था, **जिसका कब्जा प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना अनुसार अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग से लिया गया है।**
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को ई–नीलामी के माध्यम से **15/05/2024** को तहत **''जो है जहां है, ''जो है जहां है'' और '' वहां जो कुछ भी है''** आधार पर बेचा जायेगा।एत्तद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से सार्वजनिक संचालन करने जा रहे हैं। बक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/ प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट में दिए गए लिंक अर्थात www.grihumhousing.com का संदर्भ लें।

क्र. सं.	प्रस्तावित सं. ग्राहक नाम {A}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {B}	कब्जा के प्रकार {C}	संपत्ति का विवरण {D}	आरक्षित मूल्य {E}	ईएमडी (आरपी का 10%) {F}	ईएमडी जमा दिनांक {G}	बोली वृद्धि {H}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक और समय {I}	निलामी की दिनांक और समय {J}	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय प्रकरण यदि कोई {K}
1	ऋण सं. HF/0197/H/21/100143 सय्यद सिकंदर अली, (उधारकर्ता) मलका अली (सह–उधारकर्ता)	सूचना दिनांक : 08/12/2023 कुल देय : रु. 10,26,903/– (रुपये दस लाख छब्बीस हजार नौ सौ तीन मात्र) देय 08/12/2023 तक संग ब्याज @14% प्रति वर्ष वसूली तक	भौतिक	आवासीय प्लॉट सं.33, खसरा सं. 361/1/2, ,362, वार्ड सं. 85, श्री बालाजी धाम, फैज–2, ग्राम समरधा कलियासोत विकास खण्ड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल, म.प्र. मापक 720 वर्ग फुट होशंगाबाद रोज मध्य प्रदेश पिन कोड– 462046 का संपूर्ण व सर्वागीण भाग। **सीमांकन प्रकार :** पूर्व : प्लॉट सं. –34, पश्चिम : प्लॉट सं. –32, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : 12 फुट सड़क	रुपये. 10,39,500/– (रुपये दस लाख उनतालीस हजार पांच सौ मात्र)	रु. 1,03,950/– (रुपये एक लाख तीन हजार नौ सौ पचास मात्र)	21/06/2024 अपर्ाह्न 5 बजे से पूर्व	10,000/-	15/06/2024 (पूर्वाह्न 11 बजे से अपर्ाह्न 4 बजे तक	22/06/2024 (पूर्वाह्न 11 बजे से अपर्ाह्न 2 बजे तक	कोई नहीं

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे शाखा और नीलामी पर लगाई गई संपत्तियों का दौरा करें और शुल्क, भार के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। स्वयं जांच करेगा और अतिरिक्त प्रभारों, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाकर और उसके सभी पहलुओं से स्वयं/स्वयं को संतुष्ट करेगा। संपत्ति करों, बिजली के बकाए और किसी अन्य बकाया जैसे सभी वैधानिक बकाए, यदि कोई हो, संपत्ति से जुड़ा हुआ है, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता(ओं)/संभावित क्रेता(ओं) द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं के पोर्टल के साथ को पहले से पंजीकृत करना और लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक हैं, जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है, नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता: प्लॉट सं. 68, तीसरा तल, गुड़गांव,हरियाणा–122 003 हेल्पलाइन सं. –7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी : Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति– धारनी पी, ईमेल आईडी– dharni.p@c1india.com संपर्क स. –9948182222,** कृपया ध्यान दें कि, संभावित बोलीदाता केवल उनसे ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक क्रेता /बोलीदाता को बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के खाते में खाता संख्या–00651000460 और आईएफएससी कोड–ICIC0000006, 20, आरएन मुखर्जी रोड–कोलकाता–700001 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर दिनांक **21/06/2024 को या पहले** एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अग्रीम राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होती है **और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम दर्ज करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड मुफ्त प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेब–साइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोडकरने , ई–मेल प्राप्त करने और पता: प्रथम तल ,जेड–26, जोन–1,आईसीआईसीआई बैंक के प ास, एम पी नगर भोपाल, मध्य प्रदेश–462011, मोबाइल सं. +919567626050ई–मेल आईडी rahul.rt@grihumhousing.com को स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी भेजना आवश्यक है।**
नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई–नीलामी मे भाग लेने हेतु https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com का संदर्भ लें।
इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियमों, 2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को 30 दिनों की सूचना भी माना जाना चाहिए।

दिनांक : 21.05.2024, स्थान : भोपाल हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञात)

pnb Housing Finance Limited पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग,नई दिल्ली–110001, फोन : 011–23357171,23357172, 23705414,वेबसाइट :www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : 201 ए, दूसरा तल,मेगा पोलिस भवन, 579, एम.जी. रोड, इंदौर –452001

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित आज की दिनांक में संशोधित के तहत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद ''पीएनबीएचएफएल'' के रूप में संदर्भित) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत हमारी इंदौर शाखा कार्यालय स्थित शाखा कार्यालय : 201, दूसरा तल,मेगा पोलिस भवन, 579, एम.जी. रोड, इंदौर –452001 द्वारा मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आप सभी को नीचे उल्लेखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटरों को जारी कि गई थी, क्यों कि आपके खाते को किश्तों/ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका विषय आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज आदि के भुगतान में की गई चूक है। बकाया राशि नीचे बताई गई है।
इसके अलावा कारण, हम मानते हैं कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) की मांग सूचना का यह प्रकाशन की भी आवश्यकता है। एतद् द्वारा आपको इस मांग सूचना के प्रकाशन की दिनांक के 60 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त राशि को अब तक के ब्याज और शुल्कों के साथ, पीएनबीएचएफएल का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न होने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सभी या किसी भी एक या उससे अधिक प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना शामिल है।
आपका ध्यान पूरी तरह से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, जहां आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की दिनांक तक, सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन, निविदा आमंत्रित करके पीएनबी एचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपय ा यह भी ध्यान दें कि यदी पीएनबीएचएफएल द्वारा किए गए लागत, शुल्क और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन से पहले निविदा कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा निविदा नहीं दी जाती है, तो आप उसके बाद प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) को छुड़ाने के हकदार नहीं हो सकते हैं।
इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत या तो बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त के माध्यम से प्रवर्तित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नाम/पता	गारंटर का नाम	बंधक संपत्ति	मांग सूचना की दिनांक	मांग सूचना की दिनांक तक बकाया राशि
1.	HOU/UJJ/0223/1080169 शाखा: इंदौर	**स्व. श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया (आवेदक)** अपने सभी कानूनी वारीसों के माध्यम से 3, 5, 32 बटालियन, **उज्जैन, म.प्र.–456010,** 106, वार्ड सं. 14, नई आबादी, पिपलोदा, **रतलाम, म.प्र.–457001,** 01, पुलिस ऑफिसर मैस, देवास रोड, **उज्जैन, म.प्र.–456010, श्रीमती सलोनी सोलंकी (सह–आवेदक)** 3, 5, 32 बटालियन, **उज्जैन, म.प्र.–456010,** 106, वार्ड सं. 14, नई आबादी, पिपलोदा, **रतलाम, म.प्र.–457001**	ज्ञात नहीं	प्लॉट सं. 69, पश्चिमी ओर का भाग, पूजा परिसर, शक्कर वासा, महालक्ष्मी नगर के पास, देवास रोड, **उज्जैन, म.प्र. –457001**	25.04.2024	रुपये **22,70,078.84/–** (रुपये बाईस लाख सत्तर हजार अठहत्तर और चौरासी पैसा मात्र) दि. **25/04/2024** तक

स्थान : इंदौर, दिनांक : 20.05.2024 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

भोपाल संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्सबिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं